



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 1990 (वैशाख 22, 1912)  
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 1990 (VAISAKHA 22, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ	विषय-सूची	पृष्ठ
383	भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)
519	भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .
—	भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महापंचा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबंध और अधोनस्व कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .
685	भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	भाग III—खण्ड 2—पेटन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटन्टों और डिजाइनों में संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस .
*	भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .
*	भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .
*	भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के हिल तथा रिपोर्ट	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .
*	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	भाग V—प्रपेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आकड़ों को विभागे बाका अनुपूरक .
*	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	

\*अंकित संख्या नहीं।

## CONTENTS

	PAGE		PAGE
<b>PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.</b>	383	<b>PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules &amp; Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories).</b>	•
<b>PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.</b>	519	<b>PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence.</b>	•
<b>PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.</b>	—	<b>PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.</b>	483
<b>PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.</b>	665	<b>PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.</b>	469
<b>PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.</b>	•	<b>PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.</b>	•
<b>PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations.</b>	•	<b>PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.</b>	1647
<b>PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.</b>	•	<b>PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.</b>	63
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).</b>	•	<b>PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.</b>	•
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).</b>	•		

भाग I--खण्ड 1  
[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1990

स. 37-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों/कार्मिकों को उनकी असाधारण कर्तव्यनिष्ठा एवं साहसिक कार्यों के लिए "नौसेना मंडल"/"नेवी मंडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं.—

1. कमांडर प्रकाश चन्द्र गुलाटी (50127-जेड)
2. कमांडर हरि आनन्द गोखले (01075-टी)
3. कमांडर सुलेमान अब्दुल मजीथ बजीर मोहम्मद (01023-जेड)
4. कमांडर देविन्द्र नाथ सूद (01136-एफ)
5. कमांडर अमोल हेमन्त चिटनिस (01270-के)
6. कमांडर कृष्ण नायर सूधील (01369-के)
7. कमांडर एन. नामासुब्रामणियन (01349-आर)
8. कमांडर नरेश कुमार भारद्वाज (01388-बी)
9. लेफ्टिनेंट कमांडर समरेंद्र मोहन कुमार (01238-एन)
10. लेफ्टिनेंट कमांडर अश्विनी कुमार (01583-बाई)
11. लेफ्टिनेंट कमांडर राकेश गुलाटी (01741)
12. लेफ्टिनेंट कमांडर सोमीर मुखर्जी (01932-आर)
13. कार्यकारी लेफ्टिनेंट कमांडर जीवन ज्योति निम्गावन (02137-एफ)
14. लेफ्टिनेंट रमेश आचार्य (02436-के)
15. लेफ्टिनेंट (एस डी सी) कृष्ण(स्वामी) जयराम (81975-एफ)
16. लेफ्टिनेंट समीर कोहली (02795-ए)
17. रमा कान्त मिश्रा, सी एन एम इ (091296-टी)
18. श्री किसन लीकर, पी ओ (क्यू ए 1) (105594-एन)
19. अर्जुन माधव लोखाडे, एल एस (आर सी 2) (147055-टी)
20. धर्मपाल, एल डब्ल्यू टी आर (ए डी) (110841-एन)

21. जय प्रकाश उरान, सी 1 (आर सी 3) (162257-टी)

स. 38-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों/कार्मिकों को उनकी असाधारण कर्तव्यनिष्ठा एवं साहसिक कार्यों के लिए "वायुसेना मंडल"/"एयर फोर्स मंडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं.—

1. ग्रुप कैप्टन सुरेंद्र सिंह त्यागी (9467) उड़ान (पायलट)
2. ग्रुप कैप्टन अनन्त गोपाल बेंदूर (9718) उड़ान (पायलट)
3. विंग कमांडर अनिल सिनहा (11297) उड़ान (पायलट)
4. विंग कमांडर अरूण कुमार सबसना (11312) उड़ान (पायलट)
5. विंग कमांडर भूषण नीलकण्ठ गोखले (11630) उड़ान (पायलट)
6. विंग कमांडर अजीत विद्दनाथ वैद्य (11848) उड़ान (पायलट)
7. विंग कमांडर यशवन्त राव राणे (12210) उड़ान (पायलट)
8. विंग कमांडर प्रणव कुमार बरबोवा (12375) उड़ान (पायलट)
9. विंग कमांडर करण सिंह छिन्ना (12389) उड़ान (पायलट)
10. विंग कमांडर अमरदीप सिंह गिल (12944) उड़ान (पायलट)
11. विंग कमांडर फिलिप मोहन मथाई (13244) उड़ान (पायलट)
12. स्क्वाड्रन लीडर अजीत सिंह सलैषा (13812-के) उड़ान (पायलट)
13. स्क्वाड्रन लीडर चन्द्र शंकर शंकर शंकर (14089) उड़ान (पायलट)
14. स्क्वाड्रन लीडर धीरेन्द्र पाल सिंह (14551) उड़ान (पायलट)
15. स्क्वाड्रन लीडर सुन्दररामन नीलकण्ठन (15184) उड़ान (पायलट)
16. स्क्वाड्रन लीडर कलवन्त सिंह गिल (15220) उड़ान (पायलट)

17. स्ववाङ्मन लीडर मुकुल गोयल (15404) उड़ान (पायलट)
18. फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय डोगरा (17145) उड़ान (पायलट)
19. फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरकीरत सिंह आंजला (17336) उड़ान (पायलट)
20. 400627—एच मास्टर वारंट अफसर रामास्वामी गोविन्दराजन, फ्लाइट सिंगलर

सं. 39-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को उसकी असाधारण कर्तव्यनिष्ठा एवं साहसिक कार्यों के लिए "वायु-सेना मंडल का बार"/"एयर फोर्स मंडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. विंग कमांडर हरबन्स सिंह बाध, वा म (12008) उड़ान (पायलट)

सं. 40-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "शुद्ध सेवा मंडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. डिग्रेडियर जतिन्द्र कुमार रल्ली (आई सी-13416), इन्फैन्ट्री
2. कर्नल बिशन सिंह पुन्डोर (आई सी-19229), 1 सिख लाइट इन्फैन्ट्री
3. कर्नल मिलन ललित कुमार नायडू (आई सी-19077), 5 राजपूत
4. कर्नल अमर नाथ हमीर (आई सी-17792), राजपूत
5. कर्नल सुभाष चन्द्र जोशी (आई सी-26123), 6 पैराशूट
6. कर्नल खुशवंत सिंह (आई सी-16170), आर्टिलरी
7. कर्नल संज प्रताप सिंह बरार (आई सी-16783), 1 मराठा लाइट इन्फैन्ट्री
8. कर्नल हरखेव सिंह लिड्डर (आई सी-19009), 9 पैरा कमांडो
9. कर्नल पदिनहाकरा सत्यपालन (एम आर-1805), सेना चिकित्सा कोर
10. कर्नल दीन दयाल कौण्ड्याल (आई सी-20950), 5 गोरखा राइफल्स
11. कर्नल हांशियार सिंह (आई सी-15942), पैराशूट
12. कर्नल उदय वीर सिंह बहिया (आई सी-21754), इंजीनियर
13. कर्नल रवि राज ओबराय (आई सी-12818), इंजीनियर
14. लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत सिंह गिल (आई सी-20712), आर्टिलरी (सेवानिवृत्त)
15. लेफ्टिनेंट कर्नल जोगिन्द्र सिंह चौहान (आई सी-19158), राजपूताना राइफल्स
16. लेफ्टिनेंट कर्नल मनजीत सिंह सिधिया (आई सी-19409), पंजाब रेजिमेंट

17. लेफ्टिनेंट कर्नल वामुलापती वेंकटा कृष्णैया चौधरी (आई सी-23284), आर्टिलरी
18. लेफ्टिनेंट कर्नल रनधीर शमशेर सठो (आई सी-17253), 13 सिख लाइट इन्फैन्ट्री
19. लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीश प्रसाद बरथवाल (आई सी-19187), 16 गढ़वाल राइफल्स
20. लेफ्टिनेंट कर्नल पत्रापन्डाधिनैय्या मुथन्ना (आई सी-23190), 2 मराठा लाइट इन्फैन्ट्री
21. लेफ्टिनेंट कर्नल विजय कुमार सिंह (आई सी-24173), 25 राजपूत
22. लेफ्टिनेंट कर्नल देवी राम (आई सी-26304), 13 गढ़वाल राइफल्स
23. मेजर मंगलासरो सुकुमारन (आई सी-24927), 12 ग्रेडीनियर्स
24. मेजर लिनकन लुइस एन्ड्रूज (आई सी-29840), 11 कुमाऊं
25. मेजर भरत सिंह विष्ट (आई सी-30945), 5 राजपूताना राइफल्स
26. मेजर गुरप्रीत सिंह कालरा (आई सी-34376), 5 पैराशूट
27. मेजर राजेश सिंह (आई सी-37830), 2 मराठा लाइट इन्फैन्ट्री
28. मेजर गौतम बनर्जी (आई सी-25189), इंजीनियर
29. मेजर मृणाल कान्ति मुखर्जी (एम आर-3700), सेना चिकित्सा कोर
30. मेजर रूपिन्दर जीत सिंह ठिल्लन (आई सी-30018), 6 पैराशूट
31. मेजर वीरेंद्र भाटिया (आई सी-33570), 8 गोरखा राइफल्स
32. मेजर धर्म चन्ध ठाकूर (आई सी-36471), गढ़वाल राइफल्स
33. मेजर अशोक त्यागी (एम आर-4853), सेना चिकित्सा कोर
34. मेजर लक्ष्मण बालाकृष्णन् (आई सी-33082), आसूचना कोर
35. कैप्टन शंकरन नायर बालाचन्द्रन (आई सी-35370), आसूचना कोर
36. कैप्टन सोमैया कान्ति बसु (एम एस-11735), सेना चिकित्सा कोर
37. लेफ्टिनेंट हरेंद्र सिंह नेगी (आर सी-279), शौर्य चक्र, गढ़वाल राइफल्स
38. जे सी-74465 सूबेदार मेजर इकवाल सिंह, इंजीनियर
39. जे सी-128416 सूबेदार मदन सिंह, गढ़वाल राइफल्स

40. सहायक कमांडेंट भूपेन्द्र सिंह (आई आर एल ए नं. 209), 35 बटालियन सी.आर.पी एफ
  41. कैप्टन सुभाष चन्द्र दीवान (00649-जेड), भारतीय नौसेना
  42. कैप्टन राजिन्द्र भडारी (00816-बी), भारतीय नौसेना
  43. कार्यकारी कैप्टन रविन्द्र सिंह (00846-आई), भारतीय नौसेना
  44. कार्यकारी कैप्टन सुशील कुमार रामसे (60160-ए) भारतीय नौसेना
  45. कमांडर कुलदीप सिंह रधावा, शौर्य चक्र, नौ.से., (01189-ए)
  46. लेफ्टिनेंट (एस डी सी) तरलोचन सिंह (81991-टी), भारतीय नौसेना
  47. ग्रुप कैप्टन हरपाल सिंह आहलूवालिया, वो .से (9821) उड़ान (पायलट)
  48. ग्रुप कैप्टन प्रदीप भगत, विं.से.से. (7412) उड़ान (पायलट)
  49. ग्रुप कैप्टन रामामूर्ति विजय कुमार (10918) उड़ान (पायलट)
  50. विंग कमांडर विजय कुमार (8386) उड़ान (पायलट)
  51. विंग कमांडर विक्रम राणावत (12390) उड़ान (पायलट)
  52. फ्लाइट लेफ्टिनेंट संजय मिस्तल (16773) उड़ान (पायलट)
  53. फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमरिन्द्र सिंह गिल (17317) उड़ान (पायलट)
  54. फ्लाइट लेफ्टिनेंट नवीन तनवर (17461) उड़ान (पायलट)
  55. फ्लाइट लेफ्टिनेंट अशीष गोकाशी (17473) उड़ान (पायलट)
  5. बिगोडियर विशिष्ट नागयन राय (आई सी-13266), सेना सेवा कोर
  6. बिगोडियर गुरदयाल सिंह (आई सी-8205), कवाचित कोर
  7. बिगोडियर मनमोहन सिंह बरार, से मे (आई सी-10563), आर्टिलरी
  8. बिगोडियर मदन मोहन लाल अहूजा (आई सी-11670), इन्फैंट्री
  9. बिगोडियर प्रेम कुमार (आई सी-11866), कुमाऊ (सेवानिवृत्त)
  10. बिगोडियर दीपक अजवानी (आई सी-11023), इजीनियर
  11. बिगोडियर चन्द्रपाल सिंह कम्बोज (आई सी-12151), सिगनल
  12. बिगोडियर प्रभाकर भीमराव देशपांडे (आई सी-8661), सिगनल
  13. बिगोडियर शरद चन्द्र गुप्ता (आई सी-12764), ई एम ई
  14. बिगोडियर बृजेन्द्र प्रकाश, से मे (आई सी-11055), आसूचना कोर
  15. बिगोडियर रवि दत्त पालीवाल (आई सी-7128) आसूचना कोर (सेवानिवृत्त)
  16. बिगोडियर अरविन्द मनोहर बसी (आई सी-10028), आर्टिलरी (सेवानिवृत्त)
  17. बिगोडियर सतविन्द्र सिंह भट्टी (आई सी-13358), आर्टिलरी
  18. बिगोडियर बाल कृष्ण खुल्लर (आई सी-12625), इन्फैंट्री
  19. बिगोडियर सूरज प्रकाश भाटिया (आई सी-10180), सेना सेवा कोर
  20. कर्नल अनन्धानारायन नटराजन (आई सी-15464), आर्टिलरी
  21. कर्नल चरनजीत सिंह सोहल (आई सी-202215), आर्टिलरी
  22. कर्नल विनय कुमार दर (आई सी-22153), 12 कुमाऊ
  23. कर्नल परूमपूलीपाकम श्रीनिवास गोपालाचारी (आई सी-10440), इजीनियर
  24. कर्नल रिपु दमन सिंह (आई सी-16943), इजीनियर
  25. कर्नल सुरिन्द्र सिंह (आई सी-13281), आर्टिलरी
  26. कर्नल सुवेश कुमार कौशल (आई सी-15947), आर्टिलरी
- सं. 41-भेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी उच्चकॉर्गि के विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—
1. मेजर जनरल नन्द किशोर अग्रवाल (आई सी-7739), सेना आयुध कोर
  2. लोकल मेजर जनरल मदन मोहन लखेरा (आई सी-10497), इन्फैंट्री
  3. बिगोडियर मदन पाल सिंह भंडारी (आई सी-12581), आर्टिलरी
  4. बिगोडियर अरुण सीताराम अधिकारी (आई सी-13275), महार रेजिमेंट

27. कर्नल अय्यमाणा कूरियन फिलिप (आई सी-19737), इजीनियर
28. कर्नल अरविन्द सिंह पोपली (आई सी-13676), ई एम ई
29. कर्नल इन्द्रपाल सिंह कहाई (आई सी-16248), ई एम ई
30. कर्नल मनमोहन सिंह परमार (आई सी-14854), ई एम ई
31. कर्नल गुरबचन सिंह बब्बर (आई सी-21783), आर्टिलरी
32. कर्नल दिनेश सिंह चौहान (आई सी-13951), मद्रास रेजिमेंट
33. कर्नल हनुमन्थु रवीकुमार (आई सी-16029), 8 मद्रास रेजिमेंट
34. कर्नल सुभाष कौशिक (आई सी-22408), राजपूताना राइफल्स
35. कर्नल दिलीप माजरेकर (आई सी-16563), सेना आयुध कोर
36. कर्नल निर्मल सिंह सहाई (आई सी-16380), सेना आयुध कोर
37. कर्नल थालाथमनं मारप्पा राय प्रहलाथ राय (एम आर-1944), सेना चिकित्सा कोर
38. लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दूल कादिर मादाथिपेरम्बिल कुनियालाम् (आई सी-19254), आर्टिलरी
39. लेफ्टिनेंट कर्नल सूरजीत सिंह परमार (एम आर-3296), सेना चिकित्सा कोर
40. लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमेल सिंह जागीरदार (आई सी-16397), ई एम ई
41. लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण कुमार महेंद्रा (आई सी-24511), सिगनल
42. लेफ्टिनेंट कर्नल अखिल भारद्वाज (एम आर-3619), सेना चिकित्सा कोर
43. लेफ्टिनेंट कर्नल सतिन्द्र पाल सिंह रेखी (आई सी-26346), कर्वाचित कोर
44. मेजर कृष्ण कुमार उपाध्याय (एम आर-4515), सेना चिकित्सा कोर
45. मेजर कन्डथ औसफ जामफ (आई सी-36646), ई एम ई
46. मेजर विष्णु सिंह रावल (आई सी-25200), आर्टिलरी
47. मेजर हरभजन सिंह चौहान, मे मे (आई सी-33801), 4 मराठा लाइट इन्फैंट्री
48. मेजर श्री कान्त रैना (आई सी-27255), 9 गोरखा राइफल्स
49. मेजर प्रकाश चन्द्र पंजीकर (आई सी-27256), मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री
50. मेजर पूरन मल दुबे (आई सी-32523), गढ़वाल राइफल्स
51. मेजर महावीर सिंह सांडू (आई सी-32764), ग्रेनेडियर्स
52. मेजर हरचरण सिंह (आई सी-25431), इजीनियर
53. मेजर प्रवीण कुमार उवराय (आई सी-29221), इजीनियर
54. मेजर अजय कुमार वर्मा (एम आर-3697), सेना चिकित्सा कोर
55. फ्लाइट लेफ्टिनेंट मकन्द लाल बग्गा (15387), सेना विमानन
56. कैप्टन (कुमारी) कोचियाप्पन शीला (एम एस-11766), सेना चिकित्सा कोर
57. कैप्टन गुरपाल सिंह सांधा (आई सी-39956), 11 ग्रेनेडियर्स
58. कैप्टन रविन्द्र सिंह (आई सी-41824), इजीनियर
59. जे सी-67961 सूबेदार मेजर (आनरेरी कैप्टन) विष्णू चोपड़े, पौराण्ट (संवानिवृत्त)
60. जे सी-166754 नायब सूबेदार मनोहर टोपनो, बिहार रेजिमेंट
61. 14235939 कम्पनी हवलदार मेजर सीरा जय राम, सिगनल
62. कमोडोर अवध बिहारी लाल गुप्ता (00339-डब्ल्यू)
63. कमोडोर नवीन चन्द्र (50083-जेड)
64. कमोडोर अब्राहम चेरियन (40138-वाई)
65. कमोडोर अमर जीत सिंह तूर (40141-बी)
66. कमोडोर प्रमोद कुमार गोयल (60089-आर)
67. कमोडोर परमबीर सिंह बात्रा (00490-एन)
68. कमोडोर परमबोल शिवाराम तियुन्नी (40182-वाई)
69. कमोडोर गिनबर्ट कटेनो मैनेजिज (00564-एफ)
70. कमोडोर श्रीनिवासरामधवन राजाराम मोहन (70056-टी)
71. कैप्टन राधेचाम दसारी (40230-एफ), भारतीय नौसेना
72. सर्जन कैप्टन नशीम अहमद खान (75093-आर), भारतीय नौसेना
73. कैप्टन राजाह पलानीआन्दी प्रेमकुमार (00717-बी), भारतीय नौसेना
74. कैप्टन सुनील मंगेश कुलकर्णी (40252-एफ), भारतीय नौसेना

75. कमांडर विनोद मोहिनद्र (00572-जेड)
76. कमांडर विधाचन पांडे, नौ मे (00850-एफ)
77. कमांडर (एस डी सी) अशोक कुमार बोस (81902-आर)
78. कमांडर राजकुट्टी सेवेशियन (40475-एन)
79. कमांडर (एम डी पी) जसबीर सिंह (86823-जेड)
80. राम सिंह चौहान, एम सी पी ओ 1 (आर पी 1) (063822-ए)
81. चोखथूर कण्ठन कट्टी, एम सी पी ओ (एस टी डी) 11 (40070-टी)
82. चार्ल्स मणिकम रतनम जान, पी ओ आर (टेल) (201973-एफ)
83. एयर कमांडर सुधाकर बालकृष्ण पेंडारकर (5915) लेखा
84. ग्रुप कैप्टन प्रकाश चन्द्र ठाकुर (5497), प्रशासन
85. ग्रुप कैप्टन चितरंजन शर्मा (6195) परिभारिकी
86. ग्रुप कैप्टन साहब प्रसाद वर्मा (0466) चिकित्सा
87. ग्रुप कैप्टन सुरेन्द्र मोहन नागपाल (7317) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
88. ग्रुप कैप्टन दिलशेर सिंह गिल (9126) उडान (पायलट)
89. ग्रुप कैप्टन नलबन्दू भास्कर अमरेश (12464) चिकित्सा
90. विंग कमांडर दलजीत सिंह (9998) प्रशासन
91. विंग कमांडर शिवराम कृष्णन नागयनन, वा मे (11084) प्रशासन
92. विंग कमांडर ओम कुमार (11614) उडान (नेवी-गैटर)
93. विंग कमांडर स्वामीनाथन गोपालकृष्णा (12437) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
94. विंग कमांडर रामास्वामी चन्द्र कुमारन (12440) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
95. विंग कमांडर राम कृष्ण गंजू (13362) चिकित्सा
96. स्क्वाड्रन लीडर राजेश मोहन सेठी (13181) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
97. स्क्वाड्रन लीडर अनिल कुमार कायस्था (13476) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
98. स्क्वाड्रन लीडर भजन लाल ठकुराल (14195) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
99. स्क्वाड्रन लीडर राजेन्द्र कुमार शर्मा (15098) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
100. स्क्वाड्रन लीडर रोहित खेरा (15253) प्रशासन

101. फ्लाइट लेफ्टनेंट नालाकानु पिल्ले सेथु सुब्रमणियम (बी सी-16131) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
102. 271210-एच जूनियर वारंट अफसर चन्द्र कोलन-चेरी, वीपन फिटर
103. 607094-आर मार्जेंट भान मिह गिल, इंस्ट्रूमेंट फिटर

दिनांक 12 अप्रैल 1990

सं. 42-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्ति को उसकी वीरता के लिए "शीर्ष चक्र" प्रदान करने का महर्ष अन्मोदन करते हैं :—

1. कमांडर प्रदीप दीक्षित, नौ मे (01442-ए)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 9 जनवरी, 1990)

नौसे अंटार्कटिका अभियान दल ने पोलारबर्जार्न और थुर्लेलैंड पोर्टों में सवार हकिर 4 दिसम्बर, 1989 को गोवा में प्रस्थान किया। थुर्लेलैंड उद्घाटन में मंत्री और गंगोत्री नाम से विख्यात स्टेशनों की ओर प्रस्थान किया और पोलारबर्जार्न में मंत्री स्टेशन के दक्षिण की ओर लगभग 1500 मील दूर "बूडेल सी" के लिए प्रस्थान किया। यह पोत बर्कनर इनीप पर, जो कि विश्व के सबसे अधिक ठंडे प्रदेशों में से है, भारतीय कैम्प लगाने की संभावना का पता लगाने के लिए जा रहा था। पोलारबर्जार्न पोत पर इस अभियान की आवश्यकतानुसार परिवर्तित दस चेतक हेलीकाप्टर थे। यद्यपि इन हेलीकाप्टरों में कुछ परिवर्तन कर दिया गया था परन्तु मूलतः इनका डिजायन और इनके उपकरण ऐसे थे जो कि जमीन दिखाई देने की स्थिति में इन हेलीकाप्टरों से उड़ान भरनी जा सकती थी। बहुत कम दृश्यता में अथवा भूमि में पर्याप्त रूप में संपर्क स्थापित किए बिना चेतक हेलीकाप्टर से उड़ान भरने के लिए उच्च कोटि की योग्यता, एकाग्रता और उड़ान कौशल की आवश्यकता होती है। चेतक जैसे एक इंसान वाले हेलीकाप्टर में ठंडे समुद्री क्षेत्र में बहुत अधिक जेम्बिम उठाकर भी सुरिकल से 20 समुद्री मील की दूरी तय की जा सकती है।

4 जनवरी, 1990 को राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान के श्री जैन के पेट में बड़े जोर का दरद हो गया। पोलारबर्जार्न में सवार चिकित्सा दल ने उनके लगभग 115 समुद्री मील दूरी पर स्थित जर्मनी के पोलारस्टर्न पोत से रेडिओ संपर्क स्थापित किया। उस पोत के चिकित्सा अधिकारी ने श्री जैन का तत्काल आपरेशन करने की सलाह दी जो कि पोलारस्टर्न पोत पर ही संभव था। अतः श्री जैन को उस पोत पर पहुंचाना बहुत जरूरी था।

9 जनवरी, 1990 को मौसम इतना खराब था कि पोलारस्टर्न तक उड़ान भरना बहुत कठिन हो गया था। कहिये, सोज हवाओं तथा शून्य से भी कम तापमान के कारण इस क्षेत्र में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में चेतक हेलीकाप्टर से उड़ान भरना खतरों से खानी नहीं था। श्री जैन की हानत को देखते हुए फ्लाइट कमांडर प्रदीप दीक्षित ने पोलारस्टर्न तक जाने का निश्चय किया। उन्होंने रोमी तथा एक चिकित्सा अधिकारी को हेलीकाप्टर में बिठाया और अपने सहयोगी पायलट के साथ व्यावहारिक रूप से सम्भव परिस्थितियों में और अनजानी दर्रास तराई में उड़ान भरनी शुरू कर दी। 115 समुद्री मील से भी अधिक की दूरी को

इस मार्ग में बर्फाला समुद्र, बर्फ के टीले और बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं वाली अज्ञात भूमि पड़ती थी। ऐसी स्थिति में भी अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए कमांडर प्रदीप दीक्षित ने उच्चकोर्ट के उद्दान कांशिल और बहावरी का परिचय देते हुए श्री जैन को पोलारस्टर्न तक पहुंचा दिया।

इस प्रकार कमांडर प्रदीप दीक्षित ने अति विषम परिस्थितियों में उच्च कोर्ट के उद्दान कांशिल एवं साहस का परिचय दिया।

सं. 43-प्रेज/90.—राष्ट्रपति निम्नलिखित धार्मिकों को उनके सांख्यिक कार्यों के लिए "नी रेना मॉडल"/"नेही मॉडल" प्रदान करने का संघर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कार्यकारी लीफ्टनैंट कमांडर रधीर गिल्लै (02142-ए)
2. लीफ्टनैंट अरविन्द गज्जा (02453-जेड)।

राज्यीय महर्षि, राष्ट्रपति का उप-सचिव

(योजना आयोग)

(सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान एकक)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1990

संकल्प

सं. औ-15011/1/82-सा.आ.अ.—योजना आयोग के दिनांक 20 सितम्बर 1988 के संकल्प संख्या औ-15011/82-सा. आ. अ.

योजना आयोग ने आयोग से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी सलाह देने के लिए स्थापित अपनी अनुसंधान सलाहकार समिति को 1-4-1990 से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। इसका गठन और विचारार्थ विषय इस प्रकार है :—

गठन

अध्यक्ष

1. डा. रजनी कोठारी,  
सदस्य,  
योजना आयोग।

सदस्य

2. डा. अरूण घोष,  
सदस्य,  
योजना आयोग।
3. डा. ए. वैद्यनाथन,  
सदस्य,  
योजना आयोग।
4. श्रीमती हला भट्ट,  
सदस्य,  
योजना आयोग।

5. डा. के. एस. कृष्णास्वामी  
प्रनाती, प्लॉट नं.-1706  
चौदहवां मने तीसवां क्रॉस  
बानसंकरी स्ट्रेज-2,  
बंगलौर-560 041

6. डा. वी. ए. पाई पनादीकर  
निदेशक, नीति अनुसंधान केंद्र,  
धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी,  
नई दिल्ली-110 021

7. प्रो. वीना दास  
प्रोफेसर, समाज विज्ञान  
दिल्ली विश्वविद्यालय,  
दिल्ली

8. डा. बी. डी. शर्मा,  
अनुसूचित जाति तथा  
अनुसूचित जनजाति आयुक्त  
वेस्ट ब्लॉक-1, प्रथम तल  
विंग 7, आर. के. पूरम,  
नई दिल्ली-110 066

संयोजक

9. डा. एस. आर. हासिम,  
सलाहकार (आर्थी योजना)  
योजना आयोग।

विचारार्थ विषय

(1) आयोग तथा विकास को पुनः पूर्वाभिमूखी बनाने के लिए आवश्यक अनुसंधान के क्षेत्रों का निर्धारण करना ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले उपयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ करना तथा योजना आयोग द्वारा वित्त पोषण के लिए उनसे प्राप्त प्रस्तावों को प्रक्रियारब्ध करना;

(2) योजना आयोग द्वारा परिकल्पित आयोग तथा विकास से संबंधित क्षेत्रों में संस्थाओं/विद्वानों से प्राप्त, स्वयं उनके द्वारा तैयार किए गए अनुसंधान तथा अध्ययन प्रस्तावों की जांच करना तथा योजना आयोग द्वारा वित्त पोषण के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेना;

(3) आवर्ती ब्लाक अनुदानों के रूप में संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने के लिए मूलाधार तथा मापदण्डों के बारे में परामर्श देना तथा ऐसे ब्लाक अनुदानों के निम्न अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए बांसा तैयार करना;

(4) योजना आयोग की वित्तीय महायत्ना से प्रकाशन के लिए पूरे किए गए अध्ययनों की उपयुक्तता के बारे में परामर्श देना;

(5) उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अन्य संबंध या प्रासंगिक मामले के बारे में परामर्श देना।

2. समिति की बैठकें, इसके अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णयानुसार होंगी। सामान्यतः इसकी बैठकें नई दिल्ली में होंगी।

3. योजना आयोग का सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान एकक, समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।



4. समिति के गैर-पुरकारणी सदस्य हवाई अड्डा से यात्रा करने के हकदार होंगे। वे समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, भारत सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को राष्ट्रीय दैनिक भत्तों के भी हकदार होंगे, जिसका भुगतान भी योजना अर्थात् द्वारा किया जाएगा।

5. समिति 31-3-1993 तक चलेगी, जब तक कि सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता।

#### आवेष

आवेष दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए तथा इसे मामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगदीश चन्द्र उगवाल, निदेशक (प्रशासन)

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1990

#### आवेष

विषय :—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अण्डमान अपतटवर्ती मध्य अण्डमान (ब्लॉक-1), दक्षिणी अण्डमान (ब्लॉक-2) और निकोबार द्वीप (ब्लॉक-3) के 7940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं ओ-12012/3/90-ओ. एन. जी. डी. -4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन.डी.वा.ए. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) अण्डमान अपतटवर्ती-मध्य अण्डमान (ब्लॉक-1), दक्षिणी अण्डमान (ब्लॉक-2) और निकोबार द्वीप (ब्लॉक-3) के 7940 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में पेट्रोलियम मिल्न के संभावना के लिए एक पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए 15-3-1990 से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

2. लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौटे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :—

(i) सम्स्त अशोधित तेल तथा कोसिंग ह्यूड कन्डन्सेट पर 192 रुपये प्रति मिट्टिक टन या ए.सी. दर के समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के मामले में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार होंगी।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग, नई दिल्ली के धेन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुमरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में पिछले माह में प्राप्त सम्स्त अशोधित तेल की मात्रा, कोसिंग ह्यूड कन्डन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उनका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसेकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिम्का लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—

- (1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8/- रुपये
- (2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 40/- रुपये
- (3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 200/- रुपये
- (4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 400/- रुपये
- (5) लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 600/- रुपये

(छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उप-नियम (4) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता, सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषणों के दौरान पाये गये सम्स्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप में देगा तथा हर 6 महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को सम्स्त परिचालनों, व्यय तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समूह की तन्हटी और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु षड् समय के लिए

उपकरण, सामान तथा माधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उनका मुजावजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि को नार में निर्धारित किया जायेगा।

(त्र) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के गारंटे में आगोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक एंसे फार्म पर दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग ब्वाइड/अन्वेषण कार्या/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथीमीट्रिक, सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय साकडें यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।

### अनुबन्ध "क"

अण्डमान अपतटवर्ती-मध्य अण्डमान (ब्लाक-1), दक्षिणी अण्डमान (ब्लाक-2) और निकोबार द्वीप (ब्लाक-3) के 7940 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के भौगोलिक निर्देशांक

प्वाइंट	अक्षांतर	देशांतर
ए	93° 02' 00"ई	12° 38' 08"एन
बी	93° 20' 00"ई	12° 38' 08"एन
सी	92° 58' 00"ई	12° 14' 20"एन
डी	93° 20' 00"ई	12° 14' 20"एन
ई	92° 48' 18"ई	12° 13' 06"एन
एफ	92° 58' 00"ई	12° 13' 06"एन
जी	92° 48' 18"ई	11° 39' 00"एन
एच	92° 58' 00"ई	11° 39' 00"एन
एल	93° 38' 08"ई	07° 27' 12"एन
एम	94° 11' 26"ई	07° 27' 12"एन
एन	93° 38' 08"ई	06° 35' 00"एन
पी	94° 11' 26"ई	06° 35' 00"एन

### अनुसूची "ब"

अशोधित तेल, बेसिंग कन्ड्रेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उनके मुख्य सहित मासिक वितरण के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

### (ख) बेसिंग हेतु कन्ड्रेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

## (ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्वारा मैं श्री ..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर.....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

गुरुदयाल सिंह, डैप्टक अधिकारी

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 1990

स. एफ. 18-10/89-टी. डी II.—शैक्षिक अहंता सूर्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से भारत सरकार इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार इंजीनियर संस्थान की स्नातक सवस्यता परीक्षा का नामकरण तत्काल से "एमीटी परीक्षा" के रूप में परिवर्तित करने की सहर्ष अधिसूचित करती है। नए नाम से आयोजित परीक्षा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ पर्वों तथा संवाओ में राजगार के लिए मान्य होगी। यह संस्थान की स्नातक सवस्यता परीक्षा को मान्यता प्रदान करने वाली विनांक 24 जून, 1959 को अधिसूचना संख्या एफ. 18-62/57-टी. 5 के क्रम में है।

एम. एम. चौधरी, सहायक शिक्षा सलाहकार (टी.)

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, विनांक 9 अप्रैल 1990

संकल्प

स. एफ. 4-1/88-सा. ध. 1—संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत गामाइट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति के सच-ज्ञापन और नियमों एक विनियमों के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय, भोपाल के कार्यकरण की समीक्षा तथा इसके संगठनात्मक ढांचे और इसके भावी विकासत्मक कार्यक्रमों के संबंध में सिफारिशों करने के लिए 15-2-88 को एक समीक्षा समिति का गठन

किया था। समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है। अब एक अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो समीक्षा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उन पर विचार करेगी तथा जिसके गठन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

## 1. गठन

अध्यक्ष

1. डा. एम. के. महापात्र  
अपर सचिव  
संस्कृति विभाग

सदस्य

2. संयुक्त सचिव (त्रि.)  
संस्कृति विभाग  
नई दिल्ली3. सचिव  
संस्कृति विभाग  
मध्य प्रदेश सरकार  
भोपाल4. संयुक्त सचिव (आदिवासी कल्याण)  
कल्याण मन्त्रालय,  
नई दिल्ली5. श्री जे. पी. जोशी  
महानिदेशक,  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,  
नई दिल्ली6. डा. एन. पी. सिंहार  
महानिदेशक,  
राष्ट्रीय संग्रहालय  
नई दिल्ली

7. डा. क्याम सिंह शर्मा,  
निदेशक,  
प्रकाशन विभाग  
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  
नई दिल्ली

8. संयुक्त सचिव,  
वित्त मंत्रालय  
नई दिल्ली

9. डा. एस. एम. नायर  
निदेशक,  
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय  
नई दिल्ली

10. संयुक्त सचिव  
शहरी विकास मंत्रालय  
नई दिल्ली

11. योजना आयोग का एक  
प्रतिनिधि

12. संयुक्त सचिव  
पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग  
नई दिल्ली

13. संयुक्त सचिव  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  
नई दिल्ली

14. संयुक्त सचिव  
प्रशासनिक सुधार विभाग  
नई दिल्ली

15. संयुक्त सचिव  
वर्धि और न्याय मंत्रालय  
नई दिल्ली

सबस्य-सचिव

16. उप शिक्षा सलाहकार (सां. ध.)  
संस्कृति विभाग  
नई दिल्ली।

2. विचारार्थ विषय

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित विभिन्न कार्यक्रमों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में जांच तथा निर्णय करना और कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किए गए कार्यक्रमों की वित्तीय और अन्य कठिनाइयों का निर्धारण करना।

2. समिति अपनी रिपोर्ट प्रथम बैठक के दस माह के भीतर भारत सरकार (संस्कृति विभाग) को सौंप देगी।

3. यह संकल्प वित्त मंत्रालय के डा. सं. फा. 1007/ए. इ. 90 दिनांक 15-3-90 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन सामान्य की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रमेश चन्द्र त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1990

No. 37-Pres/90.—The President is pleased to approve the award of "Nao Sena Medal"/"Navy Medal" to the undermentioned officers/personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Commodore Prakash Chandra Gulati (50127-Z)
2. Commander Hari Anand Gokhale (01075-T)
3. Commander Sulyman Abdul Majeeth Vazeer Mohamed (01023-Z)
4. Commander Devinder Nath Sud (01136-F)
5. Commander Amol Hemant Chitnis (01270-K)
6. Commander Krishan Nair Sushil (01369-K)
7. Commander N. Nagasubramanian (01349-R)
8. Commander Naresh Kumar Bhardwaj (01388-B)
9. Lieutenant Commander Samendra Mohan Kumar (01238-N)
10. Lieutenant Commander Ashvini Kumar (01583-Y)
11. Lieutenant Commander Rakesh Gulati (01741-F)
12. Lieutenant Commander Somir Mukherjee (01932-R)
13. Acting Lieutenant Commander Jeewan Jyoti Nijhawan (02137-F)
14. Lieutenant Ramesh Acharya (02436-K)
15. Lieutenant (SDC) Krishnaswamy Jeyaram (81975-F)
16. Lieutenant Samir Kohli (02795-A)

17. Rama Kanta Mishra, CHME (091296-T)
18. Shri Kisan Lonkar, PO (QAI) (105594-N)
19. Arjun Madhav Lokhande, LS (RC2) (147055-T)
20. Dharam Pal, IWTR (AD) (110841-N)
21. Jay Prakash Urawn, SEAI (RC3) (162257-T).

No. 38-Pres.90.—The President is pleased to approve the award of "Vayu Sena Medal"/"Air Force Medal" to the undermentioned officers/personnel for exceptional devotion to duty or courage :—

1. Group Captain Surendra Singh Tyagi (9467) Flying (Pilot)
2. Group Captain Anant Gopal Bewoor (9718) Flying (Pilot)
3. Wing Commander Anil Sinha (11297) Flying (Pilot)
4. Wing Commander Arun Kumar Saxena (11312) Flying (Pilot)
5. Wing Commander Bhushan Nilkanth Gokhale (11630) Flying (Pilot)
6. Wing Commander Ajit Vishwanath Vaidya (11848) Flying (Pilot)
7. Wing Commander Yeshwant Rao Rane (12210) Flying (Pilot)
8. Wing Commander Pranab Kumar Barboria (12375) Flying (Pilot)
9. Wing Commander Karan Singh Chhina (12389) Flying (Pilot)
10. Wing Commander Amardeep Singh Gill (12944) Flying (Pilot)

11. Wing Commander Philip Mohan Mathai (13244) Flying (Pilot)
12. Squadron Leader Ajit Singh Slaich (13812-K) Flying (Pilot)
13. Squadron Leader Chander Sekhar Venkataramany (14089) Flying (Pilot)
14. Squadron Leader Virendra Pal Singh (14551) Flying (Pilot)
15. Squadron Leader Sunderraman Neelakantan (15184) Flying (Pilot)
16. Squadron Leader Kulwant Singh Gill (15220) Flying (Pilot)
17. Squadron Leader Mukul Goyal (15404) Flying (Pilot)
18. Flight Lieutenant Ajay Dogra (17145) Flying (Pilot)
19. Flight Lieutenant Harkeerat Singh Aujla (17336) Flying (Pilot)
20. 400627-H Master Warrant Officer Ramaswamy Govindarajan Flight Signaller.

No. 39-Pres/90.—The President is pleased to approve the award of "Bar to Vayu Sena Medal"/"Bar to Air Force Medal" to the undermentioned officer for exceptional devotion to duty and courage :—

1. Wing Commander Harbans Singh Bath, VM (12008) Flying (Pilot)

No. 40-Pres/90.—The President is pleased to approve the award of "Yuddh Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :—

1. Brigadier Jatinder Kumar Ralli (IC-13416), Infantry
2. Colonel Bishan Singh Pundir (IC-19229), 1 Sikh Light Infantry
3. Colonel Milan Lalit Kumar Naidu (IC-19077), 5 Rajput
4. Colonel Amar Nath Hamir (IC-17792), Rajput
5. Colonel Subhas Chander Joshi (IC-26123), 6 Parachute
6. Colonel Khushwant Singh (IC-16170), Artillery
7. Colonel Tej Pratap Singh Brar (IC-16783), 1 Maratha Light Infantry
8. Colonel Hardev Singh Lidder (IC-19009), 9 Para Commando
9. Colonel Padinjhakara Sathyapalan (MR-1805), Army Medical Corps
10. Colonel Din Dayal Dhoundiyal (IC-20950), 5 Gorkha Rifles
11. Colonel Hoshiar Singh (IC-15942), Parachute
12. Colonel Uday Vir Singh Dahiya (IC-21754), Engineers
13. Colonel Ravi Raj Oberoi (IC-12818), Engineers
14. Lieutenant Colonel Ajit Singh Gill (IC-20712), Artillery (Retired)
15. Lieutenant Colonel Joginder Singh Chauhan (IC-19158), Rajputana Rifles
16. Lieutenant Colonel Manjit Singh Sibia (IC-19409), Punjab Regiment
17. Lieutenant Colonel Pamulapati Venkata Krishanaiah Choudary (IC-23284), Artillery
18. Lieutenant Colonel Randhir Samsher Sechi (IC-17253) 13 Sikh Light Infantry

19. Lieutenant Colonel Jagdish Prasad Barthwal (IC-19187), 16 Garhwal Rifles
20. Lieutenant Colonel Patrapanda Thimunayya Muthanna (IC-23190), 2 Maratha Light Infantry
21. Lieutenant Colonel Vijay Kumar Singh (IC-24173), 25 Rajput
22. Lieutenant Colonel Debi Ram (IC-26304), 13 Garhwal Rifles
23. Major Mangalassery Sukumaran (IC-24927), 12 Grenadiers
24. Major Lincoln Lous Andrews (IC-29840), 11 Kumaon
25. Major Bharat Singh Bisht (IC-30945), 5 Rajputana Rifles
26. Major Gurprit Singh Kalra (IC-34576), 5 Parachute
27. Major Rajesh Singh (IC-37830), 2 Maratha Light Infantry
28. Major Gautam Banerjee (IC-25189), Engineer
29. Major Mrinal Kanti Mukherjee (MR-3700), Army Medical Corps
30. Major Rupinder Jeet Singh Dhillon (IC-30018), 6 Parachute
31. Major Virendra Bhatia (IC-33570), 8 Gorkha Rifles
32. Major Dharam Chand Thakur (IC-36471), Garhwal Rifles
33. Major Ashok Tyagi (MR-4853), Army Medical Corps.
34. Major Lakshman Balakrishnan (IC-33082), Intelligence Corps.
35. Captain Sankaran Nair Balachandran (IC-35370), Intelligence Corps
36. Captain Sountya Kanti Basu (MS-11735), Army Medical Corps
37. Lieutenant Harendra Singh Negi (RC-279), SC, Garhwal Rifles
38. JC-74465 Subedar Major Iqbal Singh, Engineers
39. JC-128416 Subedar Madan Singh, Garhwal Rifles
40. Assistant Commandant Bhupinder Singh (IRLA No. 209), 35 Btn. CRPF
41. Captain Subhash Chandra Dewan (00649-Z), Indian Navy
42. Captain Rajinder Bhandari (00816-B), Indian Navy
43. Acting Captain Ravinder Singh (00846-Y), Indian Navy
44. Acting Captain Sushil Kumar Ramsay (60160-A), Indian Navy
45. Commander Kuldip Singh Randhawa, SC, NM (01189-A)
46. Lieutenant (SDC) Tarlochan Singh (81991-T), Indian Navy
47. Group Captain Harpal Singh Ahluwalia, VM (9821) Flying (Pilot)
48. Group Captain Pradip Bhagat, VSM (7412) Flying (Pilot)
49. Group Captain Ramamoorthy Vijay Kumar (10918) Flying (Pilot)
50. Wing Commander Vijay Kumar (8386) Flying (Pilot)

51. Wing Commander Vikram Singh Ranawat (12390) Flying (Pilot)
52. Flight Lieutenant Sanjay Mittal (16773) Flying (Pilot)
53. Flight Lieutenant Aminder Singh Gill (17317) Flying (Pilot)
54. Flight Lieutenant Naveen Tanwar (17461) Flying (Pilot)
55. Flight Lieutenant Ashish Mokashi (17473) Flying (Pilot)

No. 41-Pres/90—The President is pleased to approve the award of the "Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :—

1. Major General Nand Kishore Agarwal (IC-7739), Army Ordnance Corps.
2. Local Major General Madan Mohan Lakhra (IC-10497), Infantry.
3. Brigadier Madan Pal Singh Bhandari (IC-12581), Artillery.
4. Brigadier Arun Sitaram Adhikari (IC-13275), Mahar Regiment.
5. Brigadier Bashishta Narain Rai (IC-13266), Army Service Corps.
6. Brigadier Gurdial Singh (IC-8205), Armoured Corps.
7. Brigadier Manmohan Singh Brar, SM (IC-10563), Artillery.
8. Brigadier Madan Mohan Lal Ahuja (IC-11670), Infantry.
9. Brigadier Prem Kumar (IC-11866), Kumaon (Retired).
10. Brigadier Deepak Ajwani (IC-11023), Engineers.
11. Brigadier Chandrapal Singh Kamboj (IC-12151), Signals.
12. Brigadier Prabhakar Bhimrao Deshpande (IC-8661), Signals.
13. Brigadier Sharad Chandra Gupta (IC-12764), EME.
14. Brigadier Brijendra Prakash, SM (IC-11055), Intelligence Corps.
15. Brigadier Ravi Datt Paliwal (IC-7128), Intelligence Corps (Retired).
16. Brigadier Arvind Manohar Warty (IC-10028), Artillery (Retired).
17. Brigadier Satwinder Singh Bhatti (IC-13358), Artillery.
18. Brigadier Bal Krishan Khullar (IC-12625), Infantry.
19. Brigadier Suraj Prakash Bhatia (IC-10180), Army Service Corps.
20. Colonel Ananthanarayan Natarajan (IC-15464), Artillery.
21. Colonel Charanjit Singh Sohal (IC-20215), Artillery.
22. Colonel Vinay Kumar Dar (IC-22153), 12 Kumaon.
23. Colonel Perumpulipakam Srinivasa Gopalachari (IC-10440), Engineers.
24. Colonel Ripu Daman Singh (IC-16943), Engineers.
25. Colonel Sunder Singh (IC-13281), Artillery.
26. Colonel Sudesh Kumar Kaushal (IC-15947), Artillery.
27. Colonel Ayrumala Kurian Philip (IC-19737), Engineers.
28. Colonel Arvind Singh Popli (IC-13676), FME.
29. Colonel Inderpal Singh Kahai (IC-16248), EME.
30. Colonel Manmohan Singh Parmar (IC-14854), EME.
31. Colonel Gurbachan Singh Babbau (IC-21783), Artillery.
32. Colonel Dinesh Singh Chauhan (IC-13951), Madras Regiment.
33. Colonel Hanumanthu Ravikumar (IC-16029), 8 Madras Regiment.
34. Colonel Subhash Kaushik (IC-22408), Rajputana Rifles.
35. Colonel Dilip Manjarekar (IC-16563), Army Ordnance Corps.
36. Colonel Nirmal Singh Sahaec (IC-16380), Army Ordnance Corps.
37. Colonel Thalathamane Marappa Rai Prahalada Rai (MR-1944), Army Medical Corps.
38. Lieutenant Colonel Abdul Kader Madathiparambil Kunhahamu (IC-19254), Artillery.
39. Lieutenant Colonel Sujit Singh Parmar (MR-3296), Army Medical Corps.
40. Lieutenant Colonel Gurnel Singh Jagirdar (IC-16397), EME.
41. Lieutenant Colonel Tarun Kumar Mahendra (IC-24511) Signals.
42. Lieutenant Colonel Akhil Bhardwaj (MR-3619), Army Medical Corps.
43. Lieutenant Colonel Satinder Pal Singh Rekhi (IC-26346), Armoured Corps.
44. Major Krishan Kumar Upadhyay (MR-4515), Army Medical Corps.
45. Major Kandath Ouseph Joseph (IC-36645), EME.
46. Major Vishnu Singh Rawal (IC-25200), Artillery.
47. Major Harbhajan Singh Chauhan, SM (IC-33801), 4 Maratha Light Infantry.
48. Major Sri Kant Raina (IC-27255), 9 Gorkha Rifles.
49. Major Prakash Chandra Panjkar (IC-27256), Mechanised Infantry.
50. Major Puran Mal Dubey (IC-32523), Garhwal Rifles.
51. Major Mahavir Singh Sandhu (IC-32764), Grenadiers.
52. Major Harcharan Singh (IC-25431), Engineers.
53. Major Pravin Kumar Uberoy (IC-29221), Engineers.
54. Major Ajay Kumar Verma (MR-3697), Army Medical Corps.
55. Flight Lieutenant Mukand Lal Bagga (15387), Army Aviation.
56. Captain (Miss) Kochaiyappan Sheela (MS-11766), Army Medical Corps.
57. Captain Gupal Singh Sangha (IC-39956), 11 Grenadiers.
58. Captain Ravinder Singh (IC-41824), Engineers.
59. JC-67961 Subedar Major (Honorary Captain) Vishnu Chopade, Parachute (Retired).
60. JC-166754 Naib Subedar Manohar Topno, Bihar Regiment.
61. 14235939 Company Havildar Major Seera Jaya Ram, Signals.
62. Commodore Awadh Behari Lal Gupta (00339-W).
63. Commodore Navin Chandra (50083-Z).

64. Commodore Abraham Cherian (40138-Y).
65. Commodore Amar Jit Singh Toor (40141-B).
66. Commodore Pramod Kumar Goel (60089-R).
67. Commodore Parmbir Singh Bawa (00490-N).
68. Commodore Parambot Sivarama Teyunni (40182-Y).
69. Commodore Gillbert Caetano Menezes (00564-F).
70. Commodore Srinivasaraghavan Rajaram Mohan (70056-T).
71. Captain Radhe Syam Dasari (40230-F), Indian Navy.
72. Surgeon Captain Nasim Ahmed Khan (75093-R), Indian Navy.
73. Captain Rajah Palaniandy Premkumar (00717-B), Indian Navy.
74. Captain Sunil Mangesh Kulkarni (40252-F), Indian Navy.
75. Commander Vinod Mohindra (00572-Z).
76. Commander Vindhychal Pandey, NM (00850-F).
77. Commander (SDC) Ashoke Kumar Bose (81902-R).
78. Commander Rajukutty Sebastian (40475-N).
79. Commander (SDP) Jasbir Singh (86823 Z).
80. Ram Singh Chauhan, MCPO I (RPI) (063822-A).
81. Cheruvathoor Krishnan Kutty, MCPO (STD) II (140070-T).
82. Charles Manickam Ratnam John, POR (TEL) (201973-F).
83. Air Commodore Sudhakar Balkrishna Pendharkar (5915) Accounts.
84. Group Captain Prakash Chandra Thakur (5497), Administrative.
85. Group Captain Chittaranjan Sharma (6195) Logistics.
86. Group Captain Sahab Prasad Varma (6466) Medical.
87. Group Captain Surinder Mohan Nagpal (7317) Aeronautical Engineering (Mechanical).
88. Group Captain Dilsher Singh Gill (9126) Flying (Pilot).
89. Group Captain Nallavandu Bhaskar Amaresh (12464) Medical.
90. Wing Commander Daljit Singh (9998) Administrative.
91. Wing Commander Sivaramkrishnan, Narayanan. VM (11084) Administrative.
92. Wing Commander Om Kumar (11614) Flying (Navigator).
93. Wing Commander Swaminathan Gopalakrishna (12437) Aeronautical Engineering (Mechanical).
94. Wing Commander Ramaswamy Chandra Kumaran (12440) Aeronautical Engineering (Mechanical).
95. Wing Commander Ram Krishan Ganjoo (13362) Medical.
96. Squadron Leader Rajesh Mohan Sethi (13181) Aeronautical Engineering (Electronics).
97. Squadron Leader Anil Kumar Kaistha (13476) Aeronautical Engineering (Electronics).
98. Squadron Leader Bhajan Lal Thakral (14195) Aeronautical Engineering (Mechanical).
99. Squadron Leader Rajinder Kumar Sharma (15098) Aeronautical Engineering (Electronics).
100. Squadron Leader Rohit Khera (15253) Administrative.

101. Flight Lieutenant Nallakannu Pillai Sethu Subramaniam (BC-16131) Aeronautical Engineering (Electronics).
102. 271210-H Junior Warrant Officer Chandran Kelancheri Weapon Fitter.
103. 607094-R Sergeant Bhan Singh Gill, Instrument Fitter.

The 12th April 1990

No. 42-Pers/90.—The President is pleased to approve the award of 'Shaurya Chakra' to the undermentioned person for an act of gallantry :—

1. COMMANDER PRADEEP DIXIT, NM (01442 A)

(Effective date of the award : 9th January, 1990)

On the 4th December, 1989 the 9th Antarctica Expedition set out from Goa onboard the ship Polarbjorn and Thuleland. Whilst Thuleland went to the now well known stations Maitri and Gangotri, Polarbjorn went to the Weddel Sea, about 1500 miles south of Maitri to investigate possibility of setting up an Indian camp on Berkner Island, which is one of the coldest regions of the world. Two Chetak helicopters modified for the Expedition were embarked on the Polarbjorn. The Chetaks though modified were basically designed and instrumented to fly in visual contact with ground and flying these aircraft in poor visibility or with inadequate ground reference demanded a very high level of competence, concentration and skill. A single engine helicopter like Chetak would rarely venture out over the cold seas to distances beyond 20 NMs.

On the 4th January, 1990, Mr. Jain of National Geophysical Research Institute developed severe stomach ache. A medical team onboard Polarbjorn established radio contact with a German ship Polarstern operating about 115 NMs from Polarbjorn. The Medical Officer on that ship advised immediate operation of Mr. Jain which could only be conducted at Polarstern. Evacuating the patient to Polarstern was essential.

On the 9th January, 1990, the weather conditions in the area precluded the possibility of a sortie to Polarstern. The visibility was extremely low with white out conditions, strong and gusty surface winds and sub-zero temperature. Chetak helicopter could not have been flown safely under these conditions. Considering the condition of Mr. Jain, Cdr. Pradeep Dixit, the Flight Cdr, decided to undertake the mission to Polarstern. Carrying a patient and ship's Medical Officer onboard, he with his Co-pilot took off from Polarbjorn in practically impossible conditions compounded by unfamiliar hostile terrain. Stretching over a distance of 115 NMs was the terrain of icy seas, pack ice, uncharted land in which white mountain peaks merged with the white snow background. Displaying a very high degree of competence and bravery and with complete disregard for personal safety, Cdr Pradeep Dixit evacuated Mr. Jain to Polarstern.

Commander Pradeep Dixit, thus, displayed professionalism and courage of the highest order under extremely adverse conditions.

No. 43-Pers/90.—The President is pleased to approve the award of "Nao Sena Medal"/"Navy Medal" to the undermentioned personnel for acts of exceptional courage :—

1. Acting Lieutenant Commander Sudhir Pillal (02140-N).
2. Lieutenant Arvind Gupta (02453-Z).

CORRIGENDUM

At page 154—

For : Shri Kailash Nath Tiwari, Assistant Technical Officer, I.B. Head Quarters, New Delhi, Intelligence Bureau.

Read : Shri Gopal Krishna Kapoor, Assistant Technical Officer, I.B. Headquarters, New Delhi, Intelligence Bureau.

RAJIV MEHRISHI  
Dy. Secy. to the President

(PLANNING COMMISSION)  
(SOCIO-ECONOMIC RESEARCH UNIT)

New Delhi, the 2nd April 1990

RESOLUTION

No O.15011/2/90-SER.—Reference Planning Commission's Resolution No. O.15011/1/82-SER dated 20th September 1988.

The Planning Commission has decided to reconstitute its Research Advisory Committee set up to advise it on research in areas relating to planning with effect from 1-4-1990. Its composition and terms of reference are set out below :

COMPOSITION

Chairman

1. Dr. Rajni Kothari,  
Member,  
Planning Commission.

Members

2. Dr. Arun Ghosh,  
Member,  
Planning Commission.
  3. Dr. A. Vaidyanathan,  
Member,  
Planning Commission.
  4. Smt. Ela Bhat,  
Member,  
Planning Commission.
  5. Dr. K. S. Krishnaswamy,  
Pranathi, Plot No. 1706,  
14th Main 30th Cross,  
Banashankari Stage II,  
Bangalore-560041.
  6. Dr. V. A. Pai Panandikar,  
Director, Centre for  
Policy Research, Dharma Marg,  
Chanakya Puri,  
New Delhi-110021.
  7. Prof. Veena Dass,  
Professor of Sociology,  
University of Delhi,  
Delhi.
  8. Dr. B. D. Sharma,  
Commissioner for Scheduled Caste  
& Scheduled Tribes,  
West Block 1, 1st Floor,  
Wing 7, R. K. Puram,  
New Delhi-110066.
- Convenor
9. Dr. S. R. Hashim,  
Adviser (Perspective Planning)  
Planning Commission.

Terms of Reference

- (i) To identify areas of research essential for re-orienting planning and development, initiate appropriate research programmes to be taken up by individuals and institutions qualified to do so, and process proposals from them for financing by the Planning Commission;
- (ii) to examine research and study proposals received from Institutions/Scholars on their own in areas relevant to planning and development as conceived by the Planning Commission and decide on their suitability for financing by the Planning Commission;
- (iii) to advise on the rationale and criteria for providing institutional support in the form of recurring block grants and to develop a frame-work for research programmes eligible for such block grants;
- (iv) to advise on the suitability of and financial arrangements for publication of the completed studies; and

(v) to advise on any other matter relevant or incidental to the pursuit of the above functions.

2. The Committee may meet as often as may be decided by its Chairman. Normally, its meetings will be held at New Delhi.

3. The Socio-Economic Research Unit of the Planning Commission will function as Secretariat of the Committee.

4. Non-official members of the Committee will be entitled to travel by air. They will also be entitled to daily allowances for attending the meetings of the Committee as admissible to Grade-1 officers of the Govt. of India which will also be paid by the Planning Commission.

5. The Committee will continue upto 31-3-1993 unless otherwise notified by the Government.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

J. C. DANGWAL, Director (Administration)

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS  
(DEPARTMENT OF PETROLEUM AND NATURAL GAS)

New Delhi, the 5th April 1990

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for Andaman offshore—Middle Andaman (Block-1), South Andaman (Block-2) and Nicobar Island (Block-3) area measuring 7940 sq. kms.

No O.12012/3/90-ONG D 4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 15-3-1990 for Andaman Offshore area Middle Andaman (Block 1), South Andaman (Block 2) and Nicobar Island (Block 3) area measuring 7940 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

- (a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.
- (b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.
- (c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged;
  - (i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.
  - (ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Department of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.
- (d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of 1st crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.
- (e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.



- (f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—
- (i) Rs. 8/- for the first year of the licence;
  - (ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;
  - (iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;
  - (iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;
  - (v) Rs. 600/- for the first and second years of renewal.
- (g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.
- (h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.
- (i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.
- (j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

- (k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

- (l) The Commission should render, Bathymetric, botom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.

#### SCHEDULE 'A'

Geographical coordinates of Andaman Offshore-Middle Andaman (Block 1), South Andaman (Block 2) and Nicobar Island (Block 3) - area measuring 7940 Sq. Kms.

Point	Longitude	Latitude
A	93° 02' 00"E	12° 38' 08"N
B	93° 20' 00"E	12° 38' 08"N
C	92° 58' 00"E	12° 14' 20"N
D	93° 20' 00"E	12° 14' 20"N
E	92° 48' 18"E	12° 13' 06"N
F	92° 58' 00"E	12° 13' 06"N
G	92° 48' 18"E	11° 39' 00"N
H	92° 58' 00"E	11° 39' 00"N
I	93° 38' 08"E	07° 27' 12"N
M	94° 11' 26"E	07° 27' 12"N
N	93° 38' 08"E	06° 35' 00"N
P	94° 11' 26"E	06° 35' 00"N

#### SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

#### Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year :

A.—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

## B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

## C—Natural Gas

Total Number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Govt.	Number of cubic metres obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri..... do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

Signature

By order and in the name of the President of India.

GURDIAL SINGH, Desk Officer

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 6th April 1990

Notification (25)

No. F.18-10/89 T.D. V.—With the approval of the Chairman, Board of Assessment for Educational Qualification, the Government of India is pleased to notify that the nomenclature of the Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, New Delhi is changed as "AMIETE Examination" with immediate effect. The Examination with new nomenclature will stand recognised for the purposes of employment to superior posts and services under the Central Government. This is in continuation to the notification No. 18-62/57 T5 dated 24th June 1959 recognising the Graduate Membership Examination of the Institute.

M. M. CHOUDHURY, Asstt. Edunal. Adviser (T)

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 9th April 1990

RESOLUTION

No. F. 4-1/88-CH.I.—In exercise of the powers conferred by Rule 6 of the Memorandum of Association and Rules & Regulations of the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti (RMSS), an autonomous organisation under the Department

of Culture and a society registered under the Society Registration Act XXI of 1860, the Government of India had constituted a Review Committee on 15-2-88 to review the working of the Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal and to make recommendations on organisational structure and its future developmental programmes. The Review Committee has since submitted its report to the Government. It has now been decided to set up an Empowered Committee with the following composition and terms of reference to consider the Review Committee report for implementation of its recommendations :—

1. COMPOSITION

Chairman

1. Dr. S. K. Mahapatra  
Additional Secretary  
Department of Culture

Members

2. Joint Secretary(T)  
Department of Culture  
New Delhi
3. Secretary  
Department of Culture  
Government of Madhya Pradesh  
Bhopal

4. Joint Secretary (Tribal Welfare)  
Ministry of Welfare  
New Delhi
5. Shri J. P. Joshi  
Director-General,  
Archaeological Survey of India  
New Delhi
6. Dr L. P. Sihare  
Director-General,  
National Museum,  
New Delhi
7. Dr Shyam Singh Shashi  
Director  
Publication Division  
Ministry of Information &  
Broadcasting  
New Delhi
8. Joint Secretary  
Ministry of Finance  
New Delhi
9. Dr S. M. Nau  
Director  
National Museum of Natural History  
New Delhi
10. Joint Secretary  
Ministry of Urban Development  
New Delhi
11. A representative of the  
Planning Commission
12. Joint Secretary  
Department of Pension &  
Pensioners' Welfare  
New Delhi

13. Joint Secretary  
Department of Personnel &  
Training  
New Delhi
14. Joint Secretary  
Department of Administrative  
Reforms  
New Delhi
15. Joint Secretary  
Ministry of Law and Justice  
New Delhi

Member-Secretary

16. Deputy Educational Adviser (CH)  
Department of Culture  
New Delhi

## II. TERMS OF REFERENCE

To examine and decide on the acceptance or otherwise of the various programmes recommended by the Review Committee on Rashtriya Manav Sangrahalaya and to determine financial and other implications of the programmes accepted for implementation

The Committee shall submit its report to the Government of India (Department of Culture) within a period of two months from the date of its first meeting.

This issues with the approval of the Ministry of Finance vide their Dy. No. F.1007/SE/90 dated 15-3-1990.

### ORDER

ORDERED that the Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

(Hindi version is enclosed).

R .C. TRIPATHI, Jt. Secy.

